इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी 2012—माघ 28, शक 1933

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. एफ-19-152-2005-आठ.—केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 50 तथा भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 221(ई) दिनांक 28 मार्च 2001, एस ओ क्रमांक 814 (ई) दिनांक 22 अगस्त 2001 तथा एस ओ क्रमांक 1041 (ई) दिनांक 16 अक्टूबर 2001 के अनुसरण में, भारत में उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट व्यवस्था लागू करने के लिये तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 510/2005 के आदेशों के अनुपालन में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में रजिस्ट्रीकृत एवं रजिस्ट्रीकृत होने वाले सभी प्रकार के वाहनों पर उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जाने के लिये निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :—

1. इस योजना का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका योजना, 2012 है.

2. मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के लिये समय-समय पर अधिसूचित तिथियों से वाहन पंजीयन प्राधिकारियों के कार्यालय में नए वाहनों के पंयीजन के पश्चात् उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका लगाया जाना अनिवार्य होगा. उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनन्य रूप से अनुमोदित सेवा प्रदाता द्वारा ही उपलब्ध करायी जाएगी, वाहनों में उच्च सुरक्षा पट्टिका लगाए जाने का कार्य मध्यप्रदेश के जिलों के वाहन पंजीयन प्राधिकारी कार्यालय के प्रांगणों में या ऐसे परिसर में जो कि जिले के उक्त प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, पर ही किया जाएगा.

3. उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका की दरें, स्नैप लॉक सहित फिक्सिंग कार्य को मिलाकर निम्नतालिका में दर्शित अनुसार होंगी :—

क्रमांक	मद	यूनिट	बेसिक दर (रुपये)	वेटकर सहित पूर्णांक में दर (रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दो-पहिया वाहनों के लिये (मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड एवं अशक्त वाहन).	नई उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट स्नेप लॉक सहित एक पूर्ण सेट.	98.65	111

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	तीन-पहिया वाहनों के लिए	नई उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट स्नेप लॉक एवं तृतीय रजिस्ट्रेशन प्लेट सहित एक पूर्ण सेट.	118.90	134
3.	चार-पहिया वाहनों के लिए (लाईट मोटर व्हीकल और पैसेंजर कार).	नई उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट स्नेप लॉक एवं तृतीय रजिस्ट्रेशन प्लेट सहित एक पूर्ण सेट.	296.03	334
4.	ट्रेक्टर ट्राली, माल यान, पैंसेजर यान, यूटिलिटी यान.	नई उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट स्नेप लॉक एवं तृतीय रजिस्ट्रेशन प्लेट सहित एक पूर्ण सेट.	228.19	258

4. नवीन वाहन के पंजीयन के तुरंत पश्चात् वाहन में उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका लगाई जाएगी. वाहन पंजीयन हेतु आवेदन करने तथा स्वीकृत करने संबंधी प्रक्रिया वर्तमान प्रक्रिया अनुसार ही रहेगी. जिला वाहन पंजीयन प्राधिकारी से वाहन पंजीयन क्रमांक अभिप्राप्त करने पर, जिला वाहन पंजीयन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, शासन द्वारा अनुमोदित सेवा प्रदाता के माध्यम से उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका लगाई जाएगी. उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका लगाने संबंधी प्रक्रिया की जानकारी जिला वाहन पंजीयन प्राधिकारी द्वारा जारी कर अपने कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी.

5. वर्तमान में विद्यमान पूर्व से पंजीकृत वाहनों की पंजीयन पट्टिकाएं, परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित एवं जिला वाहन पंजीयन प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर घोषित व प्रसारित कार्यक्रम के अनुसार परिवर्तित करते हुए पुरानी पंजीयन पट्टिकाओं के स्थान पर उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका शासन द्वारा अनुमोदित सेवा प्रदाता द्वारा लगाई जाएगी. विद्यमान वाहनों में उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका लगाए जाने का कार्य मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में ऊपर वर्णित प्रक्रिया के आधार पर अधिकतम 2 वर्ष में या उससे पूर्व अधिसूचित तिथि तक पूर्ण कराया जाएगा. पूर्व से पंजीकृत विद्यमान वाहन का पंजीयन क्रमांक पूर्ववत् ही रहेगा, मात्र उस नम्बर की उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका विद्यमान वाहन में लगाई जाएगी. इन उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिकाओं का मूल्य विभिन्न वाहनों की श्रेणियों के अनुसार उतना ही रहेगा जितना की नवीन वाहनों में उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका लगाने के लिए ऊपर पैरा 3 में दर्शित तालिका में प्रदर्शित है.

6. भविष्य में, दुर्घटना अथवा किसी अन्य कारण से किसी पंजीकृत वाहन में लगी हुई उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका के क्षतिग्रस्त होने की दशा में उसे बदलने के लिये उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका का मूल्य, वेट कर सहित सभी देय करों एवं स्नेप लॉक सहित फिक्सिंग कार्य को मिलाकर निम्नानुसार होगा :—

क्रमांक	मद	स्थान	दर (रुपये) (प्रति पट्टिका)
1.	दो-पहिया वाहनों के लिये (मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड एवं अशक्त वाहन).	अग्र/पश्य भाग	55
2.	तीन पहिया वाहनों के लिये	अग्र/पश्य भाग स्टीकर	58 17
3.	चार पहिया वाहनों के लिए (लाईट मोटर व्हीकल और पैसेंजर कार).	अग्र/पश्य भाग स्टीकर	158 17
4.	ट्रेक्टर ट्राली, मालयान, पैसेंजर यान, यूटिलिटी यान.	अग्र/पश्य भाग स्टीकर	120 17

7. विद्यमान वाहनों में लगी पुरानी पंयीजन पट्टिका अथवा क्षतिग्रस्त नई पंजीयन पट्टिका बदलते समय वाहन मालिक के लिये यह आवश्यक होगा कि वह पुरानी अथवा क्षतिग्रस्त वाहन. पंजीयन पट्टिका वाहन पंजीयन प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में उचित निर्वतन करने के लिये शासन द्वारा अनुमोदित सेवा प्रदाता को सौंपेगा.

8. उपरोक्त उल्लिखित कंडिका 2 के तहत् भोपाल जिले के लिये अधिसूचित तिथि 22 फरवरी, 2012 है.

No. F-19-152-2005-VIII.—In pursuance of rule 50 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 as notified by the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, *vide* Notification No. 221 (E) dated 28th March 2001, S. O. No. 814 (E) dated 22nd August 2001 and S. O. No. 1041 (E) dated 16th October 2001 to introduce High Security Registration Plate System in India, and also in compliance of the orders of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 510/2005, the State Government, hereby, makes the following scheme for affixation of High Security Registration Plates on all categories of vehicles registered and to be registered in the State of Madhya Pradesh, namely :—

1. This scheme shall be called Madhya Pradesh High Security Registration Plates Scheme, 2012.

2. In case of new vehicles, it shall be mandatory to affix High Security Registration Plates after registration of new vehicles in the Vehicle Registration Authority's Office, from the dates notified from time to time for various districts of Madhya Pradesh. High Security Registration Plates shall be exclusively provided by the service provider approved by the Government of Madhya Pradesh and shall be affixed in the premises of Vehicle Registration Authority's Office of the districts of Madhya Pradesh or at the premises designated in the notice by the said Authority of the district.

3. The rates of the High Security Registration Plates inclusive of fixing charges along with snap locks, shall be as follows :—

S. No. (1)	Item (2)	Unit (3)	Basic rate (Rs.) (4)	Rate inclusive of VAT and in rounded off figures (Rs.) (5)
1.	For Two wheelers (Motor Cycle, Scooter, Mopeds and invalied Carriage)	One complete set of New High Security Registration Plates with snap lock.	98.65	111
2.	For three wheelers	One complete set of New High Security Registration Plates with snap lock and Third Registration Plate (Sticker type).	118.90	134
3.	Four wheeler Light Motor Vehicles and Passenger Cars.	One complete set of New High Security Registration Plates with snap lock and Third Registration Plate (Sticker type).	296.03	334
4.	Tractor Trolleys, Goods Vehicles, Passenger Vehicles, Utility Vehicle.	One complete set of New High Security Registration Plates with snap lock and Third Registration Plate (Sticker type).	228.19	258

4. The High Security Registration Plates shall be affixed immediately after the registration of the new vehicle. The process for applying and grant of vehicle registration number shall remain the same as at present. On obtaining the registration number from District Vehicle Registration Authority, High Security Registration Plates will have to be affixed through the service provider, as per the procedure laid down by the Vehicle Registration Authority of the District in the form of a notice issued and displayed by the Vehicle Registration Officer on the notice board in Vehicle Registration Authority's office.

5. The registration plates of existing registered vehicles shall also have to be changed to High Security Registration Plates from dates to be notified for each district, from time to time, as per programme decided by the Transport Commissioner and announced for each district by the Vehicle Registration Authority of the district. In case of existing registered vehicles, the implementation of this scheme shall be completed within a maximum of two years from the dates notified as above or earlier date, if so notified. The registration number of the existing registered vehicles shall remain the same, only High Security Registration Plates shall be affixed on the old existing vehicles. The rates of affixing the High Security Registration Plates for various categories of existing registered vehicles shall be the same as for the newly registered vehicles (shown in the table in para 3 above).

6. In case, in future the installed High Security Registration Plates is damaged due to accident or otherwise, and is required to be replaced, the rates for replacement of High Security Registration Plates inclusive of VAT and all leviable taxes and inclusive of snap lock and fixing charges, shall be as under :—

S. No. (1)	Item (2)	Plate (3)	Rate per plate (Rs.) (4)
1.	For two wheelers (Motor Cycle, Scooter, Mopeds and invalid Carriage).	Front/Rear plate	55
2.	For three wheelers (Passenger and goods).	Front/Rear plate Sticker	58 17
3.	Light Motor Vehicles and Passenger Cars.	Front/Rear plate Sticker	158 17
4.	Tractor Trolleys, Good Vehicles, Passenger Vehicle, Utility Vehicle.	Front/Rear plate Sticker	120 17

7. At the time of replacement of old or damaged registration plate, the old and/or damaged registration plate shall be surrendered by the vehicle owner to the service provider for disposal under the supervision of Vehicle Registration Authority of the district.

8. In terms of para 2 above the notified date for Bhopal District is 22nd February, 2012.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.